2026: CGHC: 536–DB
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
प्रथम अपील (वैवाहिक) क्रमांक 197/2024
{प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा के व्यवहार वाद क्रमांक 356A/2022 में पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 22–2–2024 से उद्भूत}

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक : 19–12–2025
निर्णय पारित करने का दिनांक : 06–01–2026
निर्णय अपलोड करने का दिनांक : 06–01–2026

आंचल अग्रवाल, पति अरविंद अग्रवाल, आत्मजा शंभुदयाल डीडवानिया, आयु लगभग 41 वर्ष, निवासी बड़ा बाजार, माली पारा, खेतराजपुर, जिला संबलपुर (ओडिशा)

(प्रतिवादी)

----अपीलार्थी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

अरविंद अग्रवाल, आत्मज फतेहचंद अग्रवाल, आयु लगभग 45 वर्ष, निवासी कुबेर मोहल्ला, वार्ड नंबर 3, नैला, तहसील जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

(वादी)

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से: श्री हिमांशु कुमार शर्मा, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से: श्री शोभित कोष्टा, अधिवक्ता।
न्यायमित्र: श्री मनोज परांजपे, वरिष्ठ अधिवक्ता साथ में श्री ऋषभ गुप्ता, अधिवक्ता।

खंडपीठ
माननीय श्री संजय के. अग्रवाल एवं
माननीय श्री संजय कुमार जायसवाल, न्यायमूर्तिगण
सी.ए.वी. निर्णय

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश

1. व्यवहार वाद क्रमांक 356A/2022 में प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जांजगीर, जिला जांजगीर–चांपा द्वारा पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 22–2–2024 से व्यथित और असंतुष्ट होकर, अपीलार्थी/प्रतिवादी ने कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19 के तहत उक्त

निर्णय और डिक्री को चुनौती देते हुए यह अपील प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा कुटुंब न्यायालय ने वादी/प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्रीत करते हुए वादी के पक्ष में विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान की है।

2. अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत इस प्रथम अपील में, निर्धारण हेतु निम्नलिखित दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं: –

1. क्या कुटुंब न्यायालय का अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करना और प्रत्यर्थी/वादी के पक्ष में विवाह विच्छेद की एकपक्षीय डिक्री पारित करना विधिक रूप से न्यायोचित है?

2. क्या कुटुंब न्यायालय का अपीलार्थी/प्रतिवादी को इस आधार पर विधिक सहायता प्रदान करने से इनकार करना न्यायोचित है कि वह विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित आवेदन देने में विफल रही?

अथवा/एवं

क्या कुटुंब न्यायालय का कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 13 सहपठित छत्तीसगढ़ कुटुंब न्यायालय नियम, 2007 के नियम 14 के अनुसार न्यायमित्र नियुक्त न करना न्यायोचित है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. कुटुंब न्यायालय द्वारा पारित उक्त आक्षेपित डिक्री को निम्नलिखित तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के आधार पर चुनौती दी गई है: –

(सुविधा के लिए, पक्षकारों को इसके बाद कुटुंब न्यायालय के समक्ष व्यवहार वाद में दर्शाई गई उनकी स्थिति और श्रेणी के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।)

3.1) अपीलार्थी/प्रतिवादी का विवाह प्रत्यर्थी/वादी के साथ हिंदू रीति–रिवाजों और परंपराओं के अनुसार 03–07–2007 को मारवाड़ी धर्मशाला, नैला, जिला जांजगीर–चांपा में संपन्न हुआ था और उक्त विवाह से उन्हें दो पुत्रों का रत्न प्राप्त हुआ, जिनके नाम चिराग (जन्म 28–06–2008) और अंश (जन्म 24–09–2011) हैं। उनके बीच वैवाहिक मनमुटाव उत्पन्न हुआ, जिसके फलस्वरूप पति द्वारा विवाह विच्छेद हेतु हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत दिनांक 26–09–2022 को प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जांजगीर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे व्यवहार वाद क्रमांक 356A/2022 के रूप में पंजीकृत किया गया। इसमें वादी/पति ने कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 13 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण

में अपने विधिक प्रतिनिधित्व हेतु न्यायमित्र की नियुक्ति की मांग की थी। हालांकि, प्रतिवादी/पत्नी को नोटिस जारी किए गए और अंततः प्रतिवादी/पत्नी कुटुंब न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई। दिनांक 22–12–2022 को छत्तीसगढ़ कुटुंब न्यायालय नियम, 2007 के नियम 14 के तहत वादी/पति को न्यायमित्र की सेवाएं प्रदान की गईं और इसके पश्चात कुटुंब न्यायालय द्वारा सुलह तथा लिखित कथन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 28–11–2023 नियत की गई। उस दिन दोनों पक्ष उपस्थित हुए और प्रकरण को 16–12–2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में विचारार्थ भेजा गया, लेकिन प्रतिवादी/पत्नी की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण पर राष्ट्रीय लोक अदालत में विचार नहीं किया जा सका और इसे नियमित न्यायालय में भेजते हुए अगली तिथि 16–01–2024 नियत की गई। दिनांक 16–01–2024 को प्रतिवादी/पत्नी उपस्थित नहीं हो सकीं और उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा प्रकरण को दिनांक 29–01–2024 को वादी के साक्ष्य दर्ज करने हेतु नियत किया गया। दिनांक 29–01–2024 को प्रतिवादी/पत्नी उपस्थित हुईं, परंतु उन्होंने अपनी वित्तीय स्थिति के कारण अधिवक्ता नियुक्त करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की, जिसके लिए कुटुंब न्यायालय ने उन्हें दोपहर 1:50 बजे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करने की सलाह दी; तत्पश्चात, अपराह्न 4:35 बजे प्रकरण की सुनवाई पुनः शुरू की गई और उस कार्यवाही में कुटुंब न्यायालय ने यह दर्ज किया कि प्रतिवादी/पत्नी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क नहीं किया, अतः वादी/पति और उनके दो साक्षियों, नामतः अभिषेक अग्रवाल और अंशुमान शर्मा के शपथ–पत्र व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के तहत अभिलेख पर लिए गए और प्रकरण को दिनांक 03–02–2024 को वादी के साक्ष्य हेतु नियत किया गया और उसके बाद, दिनांक 19–02–2024 को अंतिम बहस हेतु नियत किया गया। दिनांक 19–02–2024 को अंतिम बहस सुनी गई और अंततः दिनांक 22–02–2024 को पक्षकारों के मध्य विवाह विच्छेद करने और स्थायी निर्वाह व्यय प्रदान करने से इनकार करते हुए निर्णय और डिक्री पारित की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. आक्षेपित निर्णय और डिक्री से व्यथित और असंतुष्ट होकर, अपीलार्थी/प्रतिवादी/पत्नी द्वारा कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के तहत वर्तमान अपील यह कहते हुए प्रस्तुत की गई है कि कुटुंब न्यायालय ने वादी/पति के पक्ष में विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान करने में त्रुटि की है।

5. अपीलार्थी/प्रतिवादी/पत्नी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हिमांशु शर्मा ने यह तर्क दिया कि कुटुंब न्यायालय का अपीलार्थी/प्रतिवादी/पत्नी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करना और उन्हें कोई विधिक सहायता प्रदान न करना पूर्णतः अन्यायपूर्ण है। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि वादी/पति और उनके दो साक्षियों के शपथ–पत्र दिनांक 29–01–2024 को अभिलेख पर लिए गए थे। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि कुटुंब न्यायालय ने प्रतिवादी/पत्नी को छत्तीसगढ़ कुटुंब

न्यायालय नियम, 2007 के नियम 14 के तहत प्रावधानित न्यायमित्र की सेवाएं भी प्रदान नहीं की हैं और इस कारण आक्षेपित निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है।

6. प्रत्यर्थी/वादी/पति की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री शोभित कोष्टा ने यह तर्क दिया कि चूंकि लोक अदालत में प्रकरण पर विचार नहीं किया जा सका, इसलिए इसे दिनांक 16–01–2024 को नियमित न्यायालय के समक्ष नियत किया गया था और उस दिन प्रतिवादी/पत्नी कुटुंब न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई, इसलिए कुटुंब न्यायालय ने उनके विरुद्ध उचित रूप से एकपक्षीय कार्यवाही की है। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि दिनांक 29–01–2024 को प्रतिवादी/पत्नी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करने की सलाह दी गई थी, जो उन्होंने नहीं किया और इसलिए कुटुंब न्यायालय ने वादी के साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया को उचित रूप से आगे बढ़ाया तथा वादी/पति को सुनने के बाद आक्षेपित डिक्री पारित की गई है जो विधि के अनुरूप है, अतः यह अपील खारिज किए जाने योग्य है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 10 के आधार पर, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 कुटुंब न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर पूर्णतः लागू नहीं होती है और इस प्रकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 कुटुंब न्यायालय के समक्ष कार्यवाही पर लागू नहीं होगी, अतः वर्तमान अपील खारिज की जानी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. न्यायमित्र के रूप में उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनोज परांजपे ने यह तर्क दिया कि 16–1–2024 की तिथि राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष प्रकरण पर विचार करने के लिए नियत की गई थी और यह सुनवाई के लिए नियत तिथि नहीं थी। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 20 की उपधारा (5), (6) और (7) के आधार पर, कुटुंब न्यायालय को ऐसे प्रकरण की कार्यवाही उसी चरण से आगे बढ़ानी होती है, जिस पर वह उपधारा (1) के तहत उक्त निर्देश से पूर्व पहुँचा था, और वह चरण सुलह/लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए था; इसलिए, 16–1–2024 सुनवाई के लिए नियत तिथि नहीं थी और इस प्रकार, कुटुंब न्यायालय प्रतिवादी/पत्नी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही नहीं कर सकता था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि चूंकि 29–1–2024 को प्रतिवादी/पत्नी ने कुटुंब न्यायालय के समक्ष मौखिक रूप से अपनी असमर्थता व्यक्त की थी कि वह अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ है और वह सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर संबलपुर (ओडिशा) से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकती है, इसलिए कुटुंब न्यायालय को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 के विनियम 3(5) के आलोक में उन्हें विधिक सहायता प्रदान करनी चाहिए थी, क्योंकि विधिक सेवाओं के लिए मौखिक अनुरोधों पर भी उसी प्रकार विचार किया जा सकता है जैसे उप–विनियम (1) और (2) के तहत आवेदन पर किया जाता है; और कुटुंब न्यायालय का उन्हें केवल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करने के लिए कहना और उसके बाद उन्हें कोई

विधिक सहायता प्रदान किए बिना प्रकरण में आगे की कार्यवाही करना पूर्णतः अनुचित है। विद्वान न्यायमित्र श्री परांजपे ने आगे यह तर्क दिया कि छत्तीसगढ़ कुटुंब न्यायालय नियम, 2007 के नियम 14 के तहत, न्याय के हित में प्रतिवादी/पत्नी को राजकीय व्यय पर न्यायमित्र के रूप में विधिक विशेषज्ञ की सहायता प्रदान की जानी चाहिए थी, जिसका शुल्क और व्यय राज्य के राजस्व से वहन किया जाना होता है, जिसमें कुटुंब न्यायालय दोनों ही आधारों पर विफल रहा है—न तो विधिक सहायता प्रदान की और न ही छत्तीसगढ़ कुटुंब न्यायालय नियम, 2007 के नियम 14 के तहत न्यायमित्र उपलब्ध कराया, जिससे आक्षेपित निर्णय और डिक्री को कायम नहीं रखा जा सकता और यह निरस्त किए जाने योग्य है।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और ऊपर दिए गए उनके परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और अत्यंत सावधानीपूर्वक अभिलेख का अवलोकन भी किया है।

<u>प्रश्न क्रमांक 1 के संबंध में: –</u>

9. सुलभ संदर्भ हेतु प्रश्न क्रमांक 1 को यहाँ पुनः उद्धृत किया गया है: –

"क्या कुटुंब न्यायालय का अपीलार्थी/प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करना विधिक रूप से न्यायोचित है और क्या प्रत्यर्थी/वादी के पक्ष में विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान करते हुए एकपक्षीय डिक्री पारित करना न्यायोचित है? "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. दिनांक 28–11–2023 को दोनों पक्षकार कुटुंब न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे और मामला सुलह तथा लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए नियत किया गया था और पक्षकारों के अनुरोध पर, प्रकरण को 16–12–2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष रखने का निर्देश दिया गया था, लेकिन राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रतिवादी/पत्नी उपस्थित नहीं हो सकीं, इसलिए प्रकरण को दिनांक 16–1–2024 को नियमित कुटुंब न्यायालय के समक्ष पुनः सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया। स्वीकार्य रूप से, 16–1–2024 कुटुंब न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए नियत तिथि नहीं थी। इस संबंध में, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 20 में निहित प्रावधानों, जो लोक अदालतों द्वारा प्रकरणों के संज्ञान से संबंधित हैं, विशेष रूप से उपधारा (5), (6) और (7) को यहाँ लाभप्रद रूप से देखा जा सकता है, जो निम्नानुसार हैं: –

"20. लोक अदालतों द्वारा प्रकरणों का संज्ञान— (1) से (4) xxx

(5) जहाँ लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई पंचाट नहीं दिया जाता है कि पक्षकारों के बीच कोई समझौता या समाधान नहीं हो सका है, तो वहां प्रकरण का अभिलेख उसके द्वारा उस न्यायालय को वापस कर दिया जाएगा, जिससे उपधारा (1) के तहत निर्देश प्राप्त हुआ था, ताकि विधि के अनुसार उसका निपटारा किया जा सके।

(6) जहाँ उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी प्रकरण में लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई पंचाट नहीं दिया जाता है कि पक्षकारों के बीच कोई समझौता या समाधान नहीं हो सका है, तो वह लोक अदालत पक्षकारों को न्यायालय में उपचार खोजने की सलाह देगी।

(7) जहाँ प्रकरण का अभिलेख उपधारा (5) के तहत न्यायालय को वापस कर दिया जाता है, वहाँ ऐसा न्यायालय उस प्रकरण को उसी चरण से निपटाने के लिए आगे बढ़ेगा, जिस पर वह उपधारा (1) के तहत ऐसे निर्देश से पूर्व पहुँचा था।"

11. उपर्युक्त प्रावधान के सूक्ष्म अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जहाँ पक्षकारों के बीच कोई समझौता या समाधान न हो पाने के आधार पर लोक अदालत द्वारा कोई पंचाट पारित नहीं किया जाता है, वहाँ प्रकरण का अभिलेख उसके द्वारा उस न्यायालय को वापस कर दिया जाएगा, जिससे उपधारा (1) के तहत विधि के अनुसार निपटान हेतु निर्देश प्राप्त हुआ था। और जहाँ उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकरण में पक्षकारों के बीच कोई समझौता या समाधान न हो पाने के आधार पर लोक अदालत द्वारा कोई पंचाट नहीं दिया जाता है, वहाँ वह लोक अदालत पक्षकारों को न्यायालय में उपचार प्राप्त करने की सलाह देगी। इसके अतिरिक्त, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 20 की उपधारा (7) यह प्रावधान करती है कि जहाँ प्रकरण का अभिलेख उपधारा (5) के तहत न्यायालय को वापस किया जाता है, वहाँ ऐसा न्यायालय उस प्रकरण को उसी चरण से निपटाने के लिए आगे बढ़ेगा, जिस पर वह उपधारा (1) के तहत ऐसे निर्देश से पूर्व पहुँचा था। इसका तात्पर्य यह है कि वर्तमान प्रकरण में, 16–12–2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत को निर्देश भेजने से पूर्व, मामला पक्षकारों के बीच सुलह और लिखित कथन दाखिल करने के लिए सूचीबद्ध था, जो स्वीकार्य रूप से वाद की सुनवाई की तिथि नहीं थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. "वाद की सुनवाई" के अर्थ से संबंधित प्रश्न पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा **रामबाबू घासीलाल गोयल बनाम भागीरथ प्रसाद बसंतीलाल**[1] के प्रकरण में विचार किया गया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 6 के साथ पठित आदेश 17 नियम 2 के प्रावधान तभी आकर्षित होंगे जब नियत तिथि साक्ष्य लेने, बहस सुनने या वाद से संबंधित प्रश्नों पर विचार करने के लिए हो, जो न्यायाधीश को अंततः उस पर निर्णय लेने में सक्षम बनाए। यह अंतर्वर्ती प्रकरणों से भिन्न है, और वाद को उस तिथि पर एकपक्षीय रूप से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जब वह केवल अंतर्वर्ती प्रकरणों की सुनवाई के लिए नियत हो। उक्त प्रकरण में यह प्रेक्षण किया गया था: –

> "7. किसी वाद को सुनवाई के लिए नियत तभी माना जा सकता है, जब वह साक्ष्य लेने, या बहस सुनने, या वाद से संबंधित प्रश्नों पर विचार करने

1 1983 MPLJ 455

की तिथि हो, जो न्यायाधीश को अंततः उस पर न्यायनिर्णयन करने में सक्षम बनाए, न कि केवल अंतर्वर्ती प्रकरणों पर विचार करने के लिए। इस प्रकरण में, विचारण न्यायालय, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 17 नियम 2 सहपठित आदेश 9 नियम 6 के तहत कार्य करने का दावा करते हुए, इस धारणा पर कार्य करता प्रतीत होता है कि 7–8–1981 से "वाद की सुनवाई" को 21–8–1981 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और बाद वाली तिथि वह तिथि थी जिस तक "वाद की सुनवाई" स्थगित की गई थी। इस संबंध में, विचारण न्यायालय स्थिति को नियंत्रित करने वाली कानून की सही स्थिति की विस्मृति में कार्य करता प्रतीत होता है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आदेश 17 नियम 2 यह प्रावधान करता है कि–

"जहाँ, किसी भी ऐसे दिन जिस तक वाद की सुनवाई स्थगित की गई है, पक्षकार या उनमें से कोई भी उपस्थित होने में विफल रहता है, तो न्यायालय आदेश IX द्वारा उस संबंध में निर्देशित तरीकों में से किसी एक तरीके से वाद का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ सकता है या ऐसा अन्य आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।"

(बल दिया गया है।)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

व्यवहार प्रक्रिया संहिता का आदेश 9 प्रथम सुनवाई पर पक्षकारों की अनुपस्थिति के प्रकरणों को संदर्भित करता है, जबकि यह नियम (आदेश 17 का नियम 2) आदेश 9 के प्रावधानों को स्थगित सुनवाई पर ऐसी चूक के प्रकरणों में लागू करता है। अब, स्थगित सुनवाई पर भी, ताकि न्यायालय किसी पक्षकार के उपस्थित होने में विफल रहने पर आदेश 9 द्वारा निर्देशित तरीकों में से किसी एक तरीके से वाद का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ सके, यह आवश्यक है कि वाद की सुनवाई पहले की तिथि से बाद की तिथि तक स्थगित की गई हो। दूसरे शब्दों में, यदि वाद की सुनवाई इस प्रकार स्थगित नहीं की गई है, तो विचारण न्यायालय के पास आदेश 9 द्वारा निर्देशित तरीकों में से किसी एक तरीके से आगे बढ़ने, या ऐसा आदेश देने की अधिकारिता नहीं होगी जैसा वह उचित समझे। मुझे इस दृष्टिकोण में **बालमुकुंद बनाम लक्ष्मी नारायण, AIR 1920 Pat. 595** के निर्णय के अनुपात से बल मिलता है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–"

"आदेश 17 के नियम 2 और 3 केवल उन प्रकरणों में लागू होते हैं जहाँ वाद की वास्तविक सुनवाई स्थगित की गई हो, और वाद की सुनवाई से तात्पर्य उस सुनवाई से है जिसमें न्यायाधीश या तो साक्ष्य ले रहे हों या बहस सुन रहे हों या उन्हें वाद के निर्धारण से संबंधित प्रश्नों पर विचार करना हो जो उन्हें अंततः उस पर न्यायनिर्णयन करने में सक्षम बनाए। परंतु उन प्रकरणों में जहाँ स्पष्ट रूप

से कभी भी शब्द के सामान्य अर्थ में वाद की सुनवाई का इरादा नहीं था, बल्कि पक्षकारों के बीच वाद के भविष्यगामी संचालन के संबंध में केवल किसी अंतर्वर्ती प्रकरण का निर्णय लिया जाना था, वहाँ इन नियमों के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।"

इस बिंदु पर विधि को **मनोहर दास बनाम बिरादरी शेखूपुरैन,** AIR 1936 Lah. 280 में आगे इस प्रकार प्रतिपादित किया गया है:

"वाद की सुनवाई से तात्पर्य उस सुनवाई से है जिसमें न्यायाधीश या तो साक्ष्य ले रहे हों या बहस सुन रहे हों या उन्हें वाद के निर्धारण से संबंधित प्रश्नों पर विचार करना हो जो उन्हें अंततः उस पर न्यायनिर्णयन करने में सक्षम बनाए।

ऐसे प्रकरण में जहाँ एक आयुक्त नियुक्त किया जाता है और उससे एक निश्चित तिथि तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है और आयुक्त उस तिथि से पहले समय विस्तार की प्रार्थना करते हुए एक आवेदन प्रस्तुत करता है, तो यह न्यायालय पर निर्भर है कि वह आयुक्त द्वारा मांगे गए समय को बढ़ाए या उसे अस्वीकार कर दे। पक्षकारों का इस प्रकरण से कोई लेना–देना नहीं है। वह तिथि जिस पर न्यायालय आयुक्त की रिपोर्ट की अपेक्षा करता था, 'सुनवाई की तिथि' नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बालमुकुंद राम मारवाड़ी बनाम माधो प्रसाद, AIR 1924 Pat. 714 में, जहाँ वादी की याचिका पर संरक्षक की नियुक्ति के लिए वाद स्थगित किया गया था और वादी की अनुपस्थिति में वाद व्यतिक्रम में खारिज कर दिया गया था, यह अभिनिर्धारित किया गया कि वाद को व्यतिक्रम के कारण इस प्रकार खारिज नहीं किया जा सकता था, और न ही इस प्रकार नियत तिथि को वाद के निपटारे के लिए नियत तिथि माना जा सकता था।

*** *** ***

11. प्रकरण के इस दृष्टिकोण में, विचारण न्यायालय के पास 21.8.1981 को प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने की कोई अधिकारिता नहीं थी। इस विधिक स्थिति से निकलने वाले एक तार्किक परिणाम के रूप में, यह आगे भी माना जाना चाहिए कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित सभी पश्चातवर्ती आदेश अधिकारिता के बिना थे। उपर्युक्त चर्चा के परिणामस्वरुप, यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश अवैध तरीके से और/या तात्त्विक अनियमितता के साथ अधिकारिता के प्रयोग को प्रकट करता है। यदि आक्षेपित आदेश को यथावत रहने दिया जाता है, तो प्रतिवादी–आवेदक को अपूरणीय क्षति होगी और इससे न्याय की विफलता भी होगी।"

13. हममें से एक (संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश) ने **श्रीमती उमरावती बाई (मृत) बनाम बृजमोहन साहू एवं अन्य**[2] के प्रकरण में भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया है और स्पष्ट रूप से यह माना है कि जब मामला अंतर्वर्ती कार्यवाही के लिए नियत हो न कि वाद की सुनवाई या साक्ष्य दर्ज करने या वाद की सुनवाई से संबंधित प्रश्नों के लिए, तो ऐसी कार्यवाही को वाद की सुनवाई नहीं कहा जा सकता।

14. वर्तमान प्रकरण में, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 20(7) के अनुसार, निर्देश देने से पूर्व मामला पक्षकारों के बीच सुलह और लिखित कथन दाखिल करने के लिए नियत था और चूंकि यह अंतर्वर्ती कार्यवाही के लिए नियत था न कि वाद की सुनवाई के लिए, अतः **रामबाबू घासीलाल गोयल** (पूर्वोक्त) और **श्रीमती उमरावती बाई (मृत)** (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित विधि के सिद्धांत के आलोक में कुटुंब न्यायालय के पास 16–1–2024 को प्रतिवादी/पत्नी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं थी, क्योंकि जब प्रकरण की पुकार हुई तब वह वाद की सुनवाई के लिए नियत नहीं था।

15. इस स्तर पर, प्रतिवादी/पत्नी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क विचारणीय है कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 10 के आधार पर, जो कुटुंब न्यायालय में लागू होने वाली प्रक्रिया से संबंधित है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 10 और 14 इस प्रकार हैं: –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"10. प्रक्रिया सामान्यतः— (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और नियमों के अधीन रहते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधान कुटुंब न्यायालय के समक्ष वादों और कार्यवाहियों [दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय IX के अधीन कार्यवाहियों के अलावा] पर लागू होंगे और संहिता के उक्त प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए, कुटुंब न्यायालय को एक सिविल न्यायालय माना जाएगा और उसके पास ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी।

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और नियमों के अधीन रहते हुए, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियम, कुटुंब न्यायालय के समक्ष उस संहिता के अध्याय IX के अधीन कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) की कोई भी बात कुटुंब न्यायालय को वाद या कार्यवाहियों की विषय–वस्तु के संबंध में समझौता कराने या एक पक्ष द्वारा अभिकथित और दूसरे द्वारा नकारे गए तथ्यों की सत्यता तक पहुँचने के उद्देश्य से अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित करने से नहीं रोकेगी।

---

2 2025(2) CGLJ 112

"14. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का लागू होना।—कुटुंब न्यायालय साक्ष्य के रूप में ऐसी किसी रिपोर्ट, कथन, दस्तावेजों, जानकारी या प्रकरण को प्राप्त कर सकता है, जो उसकी राय में, किसी विवाद से प्रभावी ढंग से निपटने में सहायता कर सके, चाहे वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) के तहत अन्यथा सुसंगत या ग्राह्य हो या न हो।"

16. कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 10(1) के सूक्ष्म अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह कुटुंब न्यायालय को एक सिविल न्यायालय में निहित सभी शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए 'सिविल न्यायालय' होने की शक्ति प्रदान करती है और व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को कुटुंब न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों पर लागू किया गया है, परंतु साथ ही, 1984 के अधिनियम की धारा 10(1) में ही यह स्पष्ट रूप से अनुबद्ध किया गया है कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता का ऐसा लागू होना "इस अधिनियम और नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन" होगा। 1984 के अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) यह परिकल्पना करती है कि धारा 10(1) की कोई भी बात कुटुंब न्यायालय को उसके समक्ष विचाराधीन प्रकरण से निपटने के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित करने से नहीं रोकेगी, अर्थात उसके समक्ष किसी भी वाद/कार्यवाही के विवाद (lis) के संबंध में समझौते पर पहुँचने के लिए या विवादित तथ्यों की सत्यता का निर्धारण करने के लिए। यह प्रावधान स्वतः ही स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि विधायिका ने, कुटुंब न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में व्यवहार प्रक्रिया संहिता को व्यापक रूप से लागू करने का अधिदेश देते हुए, ऐसे कुटुंब न्यायालय के पक्ष में अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार करने का विवेकाधिकार निहित किया है, क्योंकि 1984 के अधिनियम की धारा 20 में एक ऐसा खंड शामिल है जिसका प्रभाव तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में निहित किसी भी बात पर सर्वोपरि होगा। परिणामस्वरूप, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. 1984 के अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) सहपठित धारा 20 में सर्वोपरि खंड शामिल है और यह अन्य अधिनियमों/व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की तुलना में उक्त अधिनियम के प्रावधानों को सर्वोच्चता प्रदान करता है।

2. व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान कुटुंब न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों पर अपनी पूरी कठोरता के साथ लागू नहीं होंगे जैसा कि अन्य प्रावधानों पर लागू होते हैं, हालांकि, एक कुटुंब न्यायालय किसी दिए गए प्रकरण के तथ्यों/परिस्थितियों के अनुसार अपनी स्वयं की प्रक्रिया निर्धारित करने का हकदार है।

3. कुटुंब न्यायालय के पास किसी भी ऐसी सामग्री को साक्ष्य में लेने की पूर्ण शक्ति है, जो उस कुटुंब न्यायालय के न्यायिक विवेकाधिकार में, उसके समक्ष किसी वाद के प्रभावी न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक हो, चाहे वह सामग्री भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की आवश्यकताओं को पूरा करती हो या नहीं। हालांकि, ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय, कुटुंब न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि साक्ष्य के रूप में ऐसी सामग्री प्राप्त करना हमारी विधिक प्रणाली के बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन न करे।

17. वर्तमान प्रकरण में, यह वादी/पति का तर्क नहीं है कि कुटुंब न्यायालय ने 1984 के अधिनियम की धारा 10(3) के अनुसार अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार की थी या यह कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 6 या आदेश 17 नियम 2 कुटुंब न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में लागू नहीं होंगे। इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा के आलोक में, कुटुंब न्यायालय का दिनांक 16–1–2024 को प्रतिवादी/पत्नी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करना पूर्णतः अनुचित है और इसलिए उसके बाद की कार्यवाही अधिकारिता विहीन होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>प्रश्न क्रमांक 2 के संबंध में: –</u>

18. सुलभ संदर्भ हेतु प्रश्न क्रमांक 2 को यहाँ पुनः उद्धृत किया गया है: –

"क्या कुटुंब न्यायालय का अपीलार्थी/प्रतिवादी को इस आधार पर विधिक सहायता प्रदान करने से इनकार करना न्यायोचित है कि वह विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित आवेदन देने में विफल रही? "

19. दिनांक 16–1–2024 को, कुटुंब न्यायालय ने प्रतिवादी/पत्नी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के पश्चात मामला दिनांक 29–1–2024 के लिए नियत किया। दिनांक 29–1–2024 को, प्रतिवादी/पत्नी स्वयं कुटुंब न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई और मौखिक रूप से व्यक्त किया कि वह आर्थिक रूप से कमजोर है और इसलिए वह किसी अधिवक्ता/विधिक विशेषज्ञ की सेवाएं नहीं ले सकती है और उसने सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर संबलपुर (ओडिशा) से न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने में अपनी असमर्थता भी व्यक्त की, जिस पर कुटुंब न्यायालय ने उसे विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क करने की सलाह दी। हालांकि, उसके बाद, जब अपराह्न 4:35 बजे सुनवाई के लिए मामला लिया गया, तो प्रतिवादी/पत्नी उपस्थित नहीं हुई और कुटुंब न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से पूछताछ की और उसे पता चला कि उसने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क नहीं किया है और इसलिए साक्ष्य दर्ज करने की कार्यवाही की गई और मामला 3–2–2024 के लिए नियत किया गया। इस न्यायालय की राय

में, कुटुंब न्यायालय ने प्रतिवादी/पत्नी द्वारा किए गए मौखिक अनुरोध पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 के विनियम 3(5) के अनुसार उसे नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान न करके विधिक त्रुटि की है और छत्तीसगढ़ कुटुंब न्यायालय नियम, 2007 के नियम 14 के तहत प्रावधानित राजकीय व्यय पर न्यायमित्र की सेवाएं प्रदान करने में भी विफल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है।

20. इस स्तर पर, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 के विनियम 3 पर ध्यान देना उचित होगा, जो निम्नानुसार है: –

"3. विधिक सेवाओं के लिए आवेदन।—(1) विधिक सेवाओं के लिए आवेदन अधिमानतः स्थानीय भाषा या अंग्रेजी में प्रपत्र–। में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(2) आवेदक आवेदन के साथ एक अलग कागज पर अपनी उन शिकायतों का सारांश प्रस्तुत कर सकता है जिनके लिए वह विधिक सेवा चाहता है।

(3) आवेदन, भले ही प्रपत्र–। में न हो, तब भी स्वीकार किया जा सकता है, यदि वह आवेदक को विधिक सेवा प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए तथ्यों की पर्याप्त व्याख्या करता है।

(4) यदि आवेदक निरक्षर है या स्वयं आवेदन देने में असमर्थ है, तो विधिक सेवा संस्थान आवेदक को आवेदन पत्र भरने और उसकी शिकायतों का विवरण तैयार करने में सहायता करने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं।

(5) विधिक सेवाओं के लिए मौखिक अनुरोधों पर भी उसी प्रकार विचार किया जा सकता है जैसे उप–विनियम (1) और (2) के तहत आवेदन पर किया जाता है।

(6) पैरा–लीगल वॉलंटियर्स (पराविधिक स्वयंसेवकों), विधिक सहायता क्लबों, विधिक सहायता क्लीनिकों और स्वैच्छिक सामाजिक सेवा संस्थानों द्वारा सलाह दिए गए आवेदक पर भी नि:शुल्क विधिक सेवाओं के लिए विचार किया जाएगा।

(7) ई–मेल और इंटरएक्टिव ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर भी आवेदक की पहचान के सत्यापन के बाद और यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह प्रस्तुत शिकायतों का वास्तविक लेखक है, नि:शुल्क विधिक सेवाओं के लिए विचार किया जा सकता है।"

21. उपर्युक्त प्रावधान के सूक्ष्म अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विधिक सेवाओं के लिए आवेदन अधिमानतः स्थानीय भाषा या अंग्रेजी में प्रपत्र–। में प्रस्तुत किया जा सकता है। हालांकि, विनियम 3 का उप–विनियम (5) यह भी प्रावधान करता है कि विधिक सेवाओं के लिए मौखिक अनुरोधों पर भी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उसी प्रकार विचार किया जा सकता है जैसे उप–विनियम (1) और (2) के तहत आवेदन पर किया जाता है। यहाँ, वर्तमान प्रकरण में, यद्यपि प्रतिवादी/पत्नी द्वारा विधिक सहायता प्रदान करने के लिए मौखिक अनुरोध किया गया था, लेकिन कुटुंब न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उसे तत्काल नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देने का कष्ट नहीं किया, बल्कि केवल उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए कहकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली, जिसके कारण वह किसी भी सहायता के अभाव में परिसर से चली गई और अंततः उसे कोई विधिक सहायता प्रदान नहीं की गई और कुटुंब न्यायालय ने उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की तथा उसके विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री भी पारित कर दी गई।

22. वर्तमान प्रकरण में, चूंकि अपीलार्थी ने विधिक सहायता के लिए लिखित आवेदन नहीं दिया था, इसलिए उसे विधिक सहायता प्रदान नहीं की गई। इस संबंध में, उच्चतम न्यायालय के **खत्री (II) बनाम बिहार राज्य**[3] के प्रकरण में दिए गए निर्णय को यहाँ लाभप्रद रूप से देखा जा सकता है। उस प्रकरण में भी, अभियुक्त को यह सूचित नहीं किया गया था कि वह नि:शुल्क विधिक सहायता का हकदार है, और न ही अभियुक्त से यह पूछा गया था कि क्या वह चाहता है कि उसे राजकीय व्यय पर अधिवक्ता प्रदान किया जाए, और अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया तथा अंततः विचारण के परिणामस्वरूप उसे दोषसिद्ध किया गया। उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित किया कि यह स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के मौलिक अधिकार का उल्लंघन था और तदनुसार विचारण को एक घातक संवैधानिक त्रुटि के कारण दूषित माना जाना चाहिए, और अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज दोषसिद्धि और दंडादेश को निरस्त किया जाना चाहिए। **खत्री (II)** (पूर्वोक्त) के निर्णय का अनुसरण उच्चतम न्यायालय द्वारा **सुक दास बनाम केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश**[4] के प्रकरण में किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. वर्तमान प्रकरण में भी, कुटुंब न्यायालय न केवल यह देखने के बाद भी तकनीकी बना रहा कि प्रतिवादी/पत्नी को नि:शुल्क विधिक सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है, बल्कि उसने उसे विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष उचित कार्यवाही करने का निर्देश देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया; हालांकि, उसने स्वयं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित नहीं किया, जबकि विधिक सहायता प्रदान करने के लिए मौखिक अनुरोध पर भी विचार किया जा सकता है और कुटुंब न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उसे नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का निर्देश दे सकता था। कुटुंब न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से यह जानकारी प्राप्त करने के बजाय कि क्या प्रतिवादी/पत्नी ने विधिक सहायता के लिए संपर्क किया है, स्वयं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उसे विधिक सहायता प्रदान करने का

3 (1981) 1 SCC 627
4 (1986) 2 SCC 401

निर्देश दे सकता था, परंतु वह ऐसा करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप उसके साथ गंभीर न्याय की विफलता हुई और उसके विरुद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित की गई, जो **सुक दास** (पूर्वोक्त) और तत्पश्चात **सुहास चकमा बनाम भारत संघ एवं अन्य**[5] के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

24. इस पर एक अन्य दृष्टिकोण से भी विचार किया जा सकता है। यहाँ कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 13 का उल्लेख किया जा सकता है, जो निम्नानुसार है: –

> "**13. विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार।**—किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कुटुंब न्यायालय के समक्ष किसी वाद या कार्यवाही का कोई भी पक्षकार, अधिकार के रूप में, किसी विधिक व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार नहीं होगा:
> परंतु यदि कुटुंब न्यायालय न्याय के हित में इसे आवश्यक समझता है, तो वह न्यायमित्र के रूप में किसी विधिक विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. उपर्युक्त प्रावधान के सूक्ष्म अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कुटुंब न्यायालय के समक्ष किसी वाद या कार्यवाही का कोई भी पक्षकार, अधिकार के रूप में, किसी विधिक व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार नहीं होगा। हालांकि, धारा 13 के साथ संलग्न परंतुक कुटुंब न्यायालय को यह अधिकारिता देता है कि उपयुक्त प्रकरणों में, यदि वह आवश्यक समझे, तो न्याय के हित में न्यायमित्र के रूप में किसी विधिक विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है।

26. इस प्रकार, कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 13 किसी विधिक व्यवसायी को अधिकार के रूप में कुटुंब न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने से प्रतिषिद्ध करती है। हालांकि, 1984 के अधिनियम की धारा 13 के परंतुक द्वारा कुटुंब न्यायालय को न्याय के हित में न्यायालय की सहायता के लिए न्यायमित्र के रूप में विधिक विशेषज्ञ की सहायता लेने की शक्ति और अधिकारिता प्रदान की गई है। अतः, अधिनियम की धारा 13 यह इंगित करती है कि विधिक व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।

27. कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 23(घ) के आधार पर, छत्तीसगढ़ राज्य ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात, धारा 13 के तहत न्यायमित्र के रूप में नियुक्त विधिक व्यवसायियों को राज्य सरकार के राजस्व से शुल्क और व्यय के भुगतान तथा ऐसे शुल्क और व्यय

---

5 2024 SCC OnLine SC 3031

के पैमाने के लिए नियम बनाए हैं। उक्त नियमों को **छत्तीसगढ़ कुटुंब न्यायालय नियम, 2007** के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ कुटुंब न्यायालय नियम, 2007 का नियम 14 निम्नानुसार है: –

> "**14. न्यायमित्र** —(1) कुटुंब न्यायालय न्यायमित्र के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक विधिक व्यवसायियों सहित विधिक विशेषज्ञों का एक पैनल (नाम सूची) बनाए रखेगा।
>
> (2) जहाँ कुटुंब न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि न्याय के हित में न्यायमित्र के रूप में किसी विधिक विशेषज्ञ की सहायता आवश्यक है, वहाँ न्यायालय उक्त पैनल (नाम सूची) से किसी विधिक विशेषज्ञ को नियुक्त कर सकता है।
>
> (3) उप–नियम (2) के तहत नियुक्त न्यायमित्र को कुटुंब न्यायालय द्वारा राज्य के राजस्व से प्रति मामला या कार्यवाही 500 रुपये की दर से या कुटुंब न्यायालय द्वारा निर्धारित शुल्क और व्यय का भुगतान किया जा सकता है, जो 5000/– रुपये (पाँच हजार रुपये) से अधिक नहीं होगा।
>
> (4) यदि कुटुंब न्यायालय न्याय के हित में आवश्यक समझे, तो वह किसी भी समय न्यायमित्र को हटा सकता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. छत्तीसगढ़ कुटुंब न्यायालय नियम, 2007 का नियम 14(1) कुटुंब न्यायालय को न्यायमित्र के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक विधिक व्यवसायियों सहित विधिक विशेषज्ञों का एक पैनल (नाम सूची) बनाए रखने के लिए बाध्य करता है। नियम 14 का उप–नियम (2) कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 13 के परंतुक को दोहराता है, जहाँ कुटुंब न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि न्याय के हित में न्यायमित्र के रूप में किसी विधिक विशेषज्ञ की सहायता आवश्यक है, तो न्यायालय उक्त पैनल (नाम सूची) से विधिक विशेषज्ञ नियुक्त कर सकता है। हालांकि, नियम 14 का उप–नियम (3) स्पष्ट रूप से यह अधिदेश देता है कि उप–नियम (2) के तहत नियुक्त न्यायमित्र को कुटुंब न्यायालय द्वारा राज्य के राजस्व से ₹ 500/– प्रति मामला या कार्यवाही की दर से, या कुटुंब न्यायालय द्वारा निर्धारित दर से (जो ₹ 5,000/– से अधिक न हो) शुल्क और व्यय का भुगतान किया जा सकता है। नि:शुल्क विधिक सहायता का प्रावधान नियम 14 के उप–नियम (3) में अंतर्निहित है; एक बार जब न्याय के हित में वाद के किसी पक्षकार की ओर से उपस्थित होने के लिए न्यायमित्र नियुक्त कर दिया जाता है, तो न्यायमित्र के शुल्क और व्यय की व्यवस्था कुटुंब न्यायालय द्वारा राज्य के राजस्व से की जाएगी।

29. वर्तमान प्रकरण में, जब प्रतिवादी/पत्नी ने यह असमर्थता व्यक्त की थी कि अपनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण वह वकील नियुक्त नहीं कर सकती और वह सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर

उपस्थित नहीं हो सकती, और यद्यपि कुटुंब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि उसे विधिक सहायता, वह भी नि:शुल्क विधिक सहायता की आवश्यकता है, तो उसे न्यायालय द्वारा संधारित विधिक व्यवसायियों सहित विधिक विशेषज्ञों के पैनल (नाम सूची) से छत्तीसगढ़ कुटुंब न्यायालय नियम, 2007 के नियम 14(1) के तहत न्यायमित्र नियुक्त करना चाहिए था। चूंकि कुटुंब न्यायालय पहले ही यह मन बना चुका था कि न्याय के हित में विधिक विशेषज्ञ नियुक्त किए जाने चाहिए और वह भी नि:शुल्क, ऐसी स्थिति में शुल्क का भुगतान राज्य निधि से किया जा सकता था जैसा कि नियम 14(3) के तहत प्रावधानित है, और नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान किया जाना नियम 14(3) में अंतर्निहित है।

30. यह मानते हुए कि यदि कुटुंब न्यायालय ने विधिक व्यवसायियों सहित विधिक विशेषज्ञों के पैनल (नाम सूची) की सूची संधारित नहीं की थी, तो कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 13 के परंतुक के तहत न्यायमित्र के रूप में उपस्थित होने के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया जाना चाहिए था, क्योंकि दिनांक 29–01–2024 की आदेश–पत्रिका में दर्ज और विधिवत दर्ज किए गए कथन के आलोक में कुटुंब न्यायालय पहले ही यह मन बना चुका था कि न्यायमित्र की नियुक्ति न्याय के हित में है। अतः, न्यायालय में अकेली उपस्थित प्रतिवादी/पत्नी को नि:शुल्क विधिक सहायता की सेवाएं लेने और आवेदन करने की सलाह देने, और तत्पश्चात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से पूछताछ करने तथा यह दर्ज करने के बजाय कि उसने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क नहीं किया है, कुटुंब न्यायालय स्वयं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को न्यायमित्र के रूप में एक विधिक विशेषज्ञ/अधिवक्ता की सेवाएं प्रदान करने का निर्देश दे सकता था। कुटुंब न्यायालय के इस प्रकार के तकनीकी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया जा सकता और इसकी निंदा की जाती है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 13 के परंतुक और छत्तीसगढ़ कुटुंब न्यायालय नियम, 2007 के नियम 14(2) के साथ पठित न्यायमित्र की सेवाएं प्रदान न करने के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है और नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के मौलिक/संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ है। इसलिए, आक्षेपित निर्णय और डिक्री इस आधार पर भी निरस्त किए जाने योग्य हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

31. उच्चतम न्यायालय ने भी **बृजेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**[6] के प्रकरण में, **राकेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य**[7] और **एस.के. मुख्तार बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**[8] के प्रकरणों में अपने पूर्ववर्ती निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार न केवल संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के मूल में है, बल्कि हमारी

6 (2021) 19 SCC 177
7 (2011) 12 SCC 513
8 (2020) 19 SCC 178

संपूर्ण न्याय प्रणाली की नींव में है, चाहे वह सिविल हो या आपराधिक। उनके लॉर्डशिप ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार प्रत्येक नागरिक को आर्थिक वर्ग या वित्तीय संसाधनों के बावजूद उपलब्ध होना चाहिए।

32. इस प्रकार, **सुहास चकमा** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में **सुक दास** (पूर्वोक्त) के निर्णय का अनुसरण करते हुए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि राज्य के व्यय पर निर्धन और अकिंचन व्यक्तियों के लिए नि:शुल्क विधिक सहायता भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, भले ही वह व्यक्ति स्वयं विधिक सहायता की मांग न करे।

33. इस प्रकार, एक बार जब प्रतिवादी/पत्नी ने न्यायालय में उपस्थित होकर विधिक व्यवसायी की सेवाएं लेने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी, तो कुटुंब न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वह या तो छत्तीसगढ़ कुटुंब न्यायालय नियम, 2007 के नियम 14 में निहित प्रावधान के अनुसार न्यायमित्र नियुक्त करे, या संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण को कुटुंब न्यायालय के समक्ष उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अधिवक्ता की नियुक्ति कर विधिक सहायता प्रदान करने का निर्देश दे। इस प्रकार, उचित समय पर अपीलार्थी को नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान न करने के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

34. परिणामस्वरूप, आक्षेपित निर्णय और डिक्री इस आधार पर निरस्त किए जाने योग्य हैं कि कुटुंब न्यायालय के पास 16–01–2024 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने पर एकपक्षीय कार्यवाही करने की अधिकारिता नहीं थी, और इसे एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। कुटुंब न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह दिनांक 28–11–2023 की कार्यवाही के चरण से प्रकरण को आगे बढ़ाए। इसके अतिरिक्त, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जांजगीर–चांपा को निर्देश दिया जाता है कि वह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं) विनियम, 2010 के अनुसार प्रतिवादी/पत्नी को नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान करे। पक्षकारों को दिनांक 29–01–2026 को कुटुंब न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

35. अपील स्वीकार की जाती है। वाद–व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

36. (1)– अभिलेख से अलग होने से पूर्व, हम छत्तीसगढ़ कुटुंब न्यायालय नियम, 2007 (संक्षेप में "2007 के नियम") के नियम 14(1) के साथ पठित कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के तहत कुटुंब न्यायालयों के उस वैधानिक कर्तव्य को पुनर्कथित करना आवश्यक समझते हैं, जिसके अनुसार उन्हें न्यायमित्र के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक विधिक व्यवसायियों सहित विधिक विशेषज्ञों का पैनल (नाम सूची) संधारित करना है। वैधानिक ढांचा स्पष्ट रूप से यह अपेक्षा

करता है कि कुटुंब न्यायालय यह सुनिश्चित करें कि पारिवारिक विवादों के ऐसे पक्षकार, जो वित्तीय या अन्य वास्तविक कठिनाइयों के कारण अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें प्रभावी विधिक सहायता प्रदान की जाए। 1984 के अधिनियम और 2007 के नियमों का उद्देश्य केवल पारिवारिक विवादों का निपटारा करना ही नहीं है, बल्कि निष्पक्षता और समान न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप, विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और अन्य सुभेद्य वादकारियों के लिए न्याय तक वास्तविक और सार्थक पहुँच सुनिश्चित करना है।

(2)– हमारे संज्ञान में यह आया है कि, वास्तविक व्यवहार में, अधिकांश कुटुंब न्यायालय आमतौर पर ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए केवल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संधारित अधिवक्ताओं की नामलिका पर ही निर्भर रहते हैं, और 2007 के नियमों के नियम 14(1) के तहत परिकल्पित पृथक नामलिका संधारित नहीं कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। आदेश में केवल यह दर्ज कर देना कि वादकारी विधिक सहायता और विधिक सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है, वास्तविक और समय पर विधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए बिना, वैधानिक अधिदेश के उद्देश्य को विफल करता है। कुटुंब न्यायालयों पर सौंपी गई इस जिम्मेदारी को केवल एक कोरी औपचारिकता नहीं माना जा सकता है और इसका निर्वहन प्रत्यक्ष एवं प्रभावी ढंग से किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3)– तदनुसार, हम छत्तीसगढ़ राज्य के उन कुटुंब न्यायालयों को, जिन्होंने 2007 के नियमों के नियम 14(1) में उल्लिखित विधिक विशेषज्ञों की सूची संधारित नहीं की है, यह निर्देश देते हैं कि वे 2007 के नियमों के अधिदेशानुसार बिना किसी और विलंब के शीघ्रता से अधिवक्ताओं की एक पृथक नामलिका गठित और संधारित करें। जब भी यह पाया जाए कि कोई पक्षकार अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ है और न्याय के हित में ऐसा आवश्यक हो, तो 2007 के नियमों के नियम 14(2) के अनुसार, कुटुंब न्यायालय प्रकरण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को संदर्भित करने के बजाय, विधिक सहायता प्रदान करने के लिए अपने द्वारा संधारित नामलिका से स्वयं एक विधिक विशेषज्ञ नियुक्त करेगा। ऐसे नामलिका अधिवक्ताओं को देय शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और यह 2007 के नियमों के नियम 14(3) के अनुसार नि:शुल्क विधिक सहायता का हिस्सा होगा। यह निर्देश न्याय की प्रभावी प्रदायन सुनिश्चित करने और पारिवारिक प्रकरणों में न्याय तक पहुँच के संवैधानिक अधिदेश को बनाए रखने के लिए जारी किया गया है।

37. इस निर्णय की एक प्रति राज्य के सभी कुटुंब न्यायालयों को छत्तीसगढ़ कुटुंब न्यायालय नियम, 2007 के नियम 14(1) का इसके अक्षरशः और मूल भावना में पालन करने हेतु भेजी जाए।

38. तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

39. हम विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनोज परांजपे द्वारा दी गई सहायता की सराहना करते हैं, जो न्यायमित्र के रूप में उपस्थित हुए और तर्क प्रस्तुत किए।

सही /– (संजय के. अग्रवाल) न्यायाधीश	सही /– (संजय कुमार जायसवाल) न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)
अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur